

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बड़जलास — मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या — 20/2021

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
कम अभिहित अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थी
राकेश पंवार पुत्र किशनगोपाल जाति घोंची
निवासी सिखवालो की गली, गोटन तहसील मेडता जिला नागौर।
फर्म—जोधपुर मिष्ठान भण्डार, गोटन तहसील मेडता जिला नागौर।

आदेश

दिनांक :25.03.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 12-11-2020 को मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, गोटन तहसील मेडता जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ खोया में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1430 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/612/एक्ट/2020/339 दिनांक 20.11.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खोया सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त राकेश पंवार पुत्र किशनगोपाल जाति घोंची निवासी सिखवालो की गली, गोटन तहसील मेडता जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 22-01-2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब दिनांक 25.03.2021 को पेश किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि मैं जोधपुर मिष्ठान भण्डार के नाम से गोटन में काम करता हूँ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मेरी दुकान से गाय के दूध से बने हुए मावे का सेम्पल लिया था, जो दूध मैं स्थानीय लोगो से खरीद करता हूँ। भविष्य में मैं दूध लेने में सावधानी बरतूंगा।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/612/एक्ट/2020/339 दिनांक 20.11.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ खोया का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा भी अपने जवाब में अपना जुर्म स्वीकार स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी राकेश पंवार पुत्र किशनगोपाल जाति घोंची निवासी सिखवालो की गली, गोटन तहसील मेडता जिला नागौर पर रूपये 30,000/- अक्षरे तीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
आतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)